राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र सं0-41 /2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक: नवम्बर 4 , 2025

विषय: विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा साक्षियों का कथन अंकित करते समय BNSS–2023 की धारा 179, 180 तथा 181 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय / महोदया,

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा 179, 180 तथा 181 में विवेचना के दौरान साक्षियों का बयान अंकित करने के सम्बन्ध में प्राविधान दिये गये हैं, जिनमें साक्षियों का बयान अंकित करने के बाद उनका हस्ताक्षर न कराये जाने तथा पीड़ित महिला का बयान अनिवार्य रूप से महिला पुलिस अधिकारी / महिला अधिकारी द्वारा अंकित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत प्राविधानित किया गया है—

> Section-179.....Provided that no male person under the age of fifteen years or above the age of sixty years or a woman or a mentally or physically disabled person or a person with acute illness shall be required to attend at any place other than the place in which such person resides:
>
> Section-180 (3) The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section; and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records:
> Provided that statement made under this sub-section may also be recorded by audio-video electronic means:
> Provided further that the statement of a woman against whom an offence under section 64, section 66, section 67, section 68, section 70, section 71, section 73, section 74, section 75, section 76, section 77 or section 78 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 is alleged to have been committed or attempted, shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer.
>
> Section-181 (1) No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this Chapter, shall, if reduced to writing, be signed by the person making it; nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose, save as hereinafter provided, at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made:

2– श्री अशोक मेहता, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांकित 15.10.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष निरन्तर ऐसे प्रकरण प्रस्तुत हो रहे हैं, जिनमें साक्षियों के बयानों पर उनके हस्ताक्षर लिये गये हैं तथा पीड़ित महिला का बयान महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया है।

.....2

3- विवेचना के दौरान साक्षियों का बयान अंकित करने के सम्बन्ध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-179, 180 (3) तथा 181(1) में दी गयी व्यवस्था आज्ञापक है, जिसका पालन विवेचकों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना है। विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने से उत्पन्न हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि का लाभ अंततः अभियुक्तों को ही मिलता है तथा पीड़ित का न्याय प्राप्त करने का अधिकार बाधित होता है।

4- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि साक्षियों का बयान अंकित करने के सम्बन्ध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के उपरोक्त वर्णित प्राविधानों से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुये यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित महिला का बयान महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा उसके निवास स्थान/इच्छित स्थान पर दर्ज किया जाए तथा उसकी वीडियोग्राफी भी करायी जाए। विवेचना के दौरान दर्ज किये गये साक्षियों के बयान पर साक्षियों के हस्ताक्षर न कराये जाएं।

भवदीय

5/8

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद / रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -:

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।